भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. 47***
वाणिज्य विभाग

दिनांक 29 नवंबर 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

चाय पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास में सहायता प्रदान करना

47* **श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्यः**

क्या **वाणिज्य** और **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चाय कामगारों और उनके परिवारों के लिए शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु किए जाने वाले कार्यों के अलावा चाय पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास सहायता प्रदान करती है;

(ख) असम और पूर्वोत्तर में चाय उद्योगों के लिए निधियों के वितरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2024 -2025 के दौरान असम चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना (एटीएसआईएस) के अंतर्गत प्रदान किए गए अतिरिक्त प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"चाय पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास में सहायता प्रदान करना" विषय पर 29 नवंबर, 2024 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 47 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): वाणिज्य विभाग के अधीन चाय बोर्ड चाय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए चाय विकास और संवर्धन स्कीम लागू कर रहा है। असम सरकार ने सूचित किया है कि असम सरकार के पर्यटन विभाग के अधीन असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (एटीडीसी) के माध्यम से 'असम में चाय पर्यटन अवसंरचना का संवर्धन और विकास' नामक एक स्कीम लागू की गई है। पर्यटन मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत को समग्र रूप से बढ़ावा देता है। चल रही गतिविधियों के भाग के रूप में, चाय सम्पदाओं सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है।

(ख): 2021-22 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान चाय बोर्ड के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) को, असम के लिए 59.18 करोड़ रुपये सहित, 64.88 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

(ग): असम चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन स्कीम (एटीआईएसआईएस) असम राज्य सरकार की एक स्कीम है, जिसे वर्ष 2020 में अधिसूचित किया गया था। एटीआईएसआईएस के तहत घटक इस प्रकार हैं:

1. कार्यशील पूंजी पर ब्याज छूट
2. परम्परागत या विशिष्ट चाय उत्पादन सब्सिडी
3. संयंत्र और मशीनरी के लिए परम्परागत और विशिष्ट चाय इकाइयों को सब्सिडी
4. कृषि आयकर अवकाश

इस स्कीम के तहत, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 90.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 132 चाय बागानों को 39.72 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
